बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

आदेश

श्री रमेश कुमार, कक्षपाल के विरूद्ध उनके मंडल कारा, बिहारशरीफ में पदस्थापन के दौरान दिनांक 23.03.2016 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "जेल में सुलेखा ने खाया राजबल्लभ का नमक "से संबंधित मामले की जाँच जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा की गई। जाँचोपरान्त उनके विरूद्ध प्रावधान के विपरीत बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश/अनुमति प्राप्त किये कारा के अन्दर बाहरी कारीगरों को जाने देना तथा भारी मात्रा में सामग्रियों को बिना गेट पंजी में प्रविष्टि के लिए निलंबित करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक 2091 दिनांक 05.04.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री मनोज कुमार सिन्हा, अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर को संचालन पदाधिकारी तथा श्री जलज कुमार उपाधीक्षक, उपकारा, बाढ़ को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाये गये। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक 3960 दिनांक 05.07.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई जिसके अनुपालन में श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

2 श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप, आरोपवार स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी का अधिगम निम्नवत् है :–

आरोप संख्या–(i) दिनांक–23.03.2016 को दैनिक समाचार पत्र " दैनिक भास्कर " पटना के एक समाचार पत्र में "जेल" में सुलेखा ने खाया राजबल्लभ का नमक" शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार का महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना के संज्ञान पर जिला पदाधिकारी, नालंदा के द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच कराई गई, जिसमें कई बिन्दुओं पर विसंगतियाँ एवं प्रतिकूल टिप्पणी प्रतिवेदित है, जिससे आपकी कर्त्तव्यहीनता, लापरवाही तथा नियम विरूद्ध कार्य करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

स्पष्टीकरण :– आरोपित कर्मी श्री रमेश कुमार द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनकी कर्तव्यहीनता लापरवाही एवं नियम के विरूद्ध कार्य करने के संबंध में कोई उदाहरण नहीं दिया गया है। अतः ऐसे भावनात्मक आरोप पर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :–श्री कुमार के विरूद्ध स्थापित सभी आरोपों का अभिलेखनीय जाँच एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त कक्षपाल के विरूद्ध गठित पहला आरोप में उक्त आरोपी कक्षपाल को जिला पदाधिकारी, नालंदा से सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच करायी गयी, जिसमें कई बिन्दुओं पर विसंगतियाँ एवं प्रतिकूल टिप्पणी प्रतिवेदित है, जिससे कर्तव्यहीनता, लापरवाही तथा नियम के विरूद्ध कार्य करने की प्रवृति परिलक्षित होती है तथा इस संबंध में कोई उदाहरण/कोई नियम/आदेश अंकित नहीं किया गया है, जिससे पहला आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप संख्या–(ii) जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि दिनांक–22.03.2016 तथा 23.03.2016 को भोजन बनाने हेतु जो भी समाग्री जेल गेट के भीतर लायी गयी थी, उसमें बहुत सारे सामग्री की प्रविष्टि उनके द्वारा जेल गेट सामग्री पंजी एवं भंडार पंजी में दर्ज नहीं की गई थी तथा कारा में बाहर के कारीगर को बुलाकर विशेष पकवान बनवाया गया। जेल परिसर में इस तरह बिना किसी प्रविष्टि के बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निःसंदेह कारा सुरक्षा एवं संसीमित अन्य बंदियों की सुरक्षा के प्रतिकूल है। उनका यह कृत्य उनकी कर्त्तव्यहीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही यह उनकी कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल कार्य करने एवं कारा की सुरक्षा को खतरे में डालने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

स्पष्टीकरण :– आरोप संख्या (2) के प्रसंग में श्री कुमार का कहना है कि "कारा गेट रजिस्टर ऑफ आर्टिकिल गेट वार्डर के पास रहता है परंतु इस कारा में यह रजिस्टर प्रभारी कारापाल श्री रामानन्द पंडित के पास ही रखा जाता था। इस बात को वे स्वयं स्वीकार किये जिसे उनके बयान तथा जिला पदाधिकारी, बिहारशरीफ के जाँच प्रतिवेदन में किया गया है। दोनों कागजात की छायाप्रति संलग्न है। मेरी नियुक्ति नवम्बर–2013 में कक्षपाल के पद पर हुई थी। कारा हस्तक के नियम–814 में प्रावधान है कि सभी नवनियुक्त कक्षपालों को तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, परंतु मुझे बिना किसी प्रशिक्षण के डियूटी पर लगा दिया गया। ऐसी स्थिति में उच्चाधिकारी जो कहते थे, मैं वैसा ही करता था। सहायक अधीक्षक गेट रजिस्टर (सामग्री संबंधी) अपने ही पास रखते थे। जहाँ तक भंडार पंजी में इस सामग्रियों की प्रविष्टि नहीं करने का मामला है यह लेखा प्रभारी सहायक अधीक्षक के पास रहता है और वे ही इसमें प्रविष्टि के लिए

लिखित या मौखिक रूप में **जो आदेश देते थे,** उसके उपरांत गेट रजिस्टर (सामग्री संबंधी) में अंकित किया जाता था। उदाहरणस्वरूप दिनांक–22.03.2016 को संवेदक सुरेन्द्र यादव द्वारा 125 किलोग्राम चावल लाया गया और चावल की पर्ची दिया। इस पर्ची को कारापाल श्री रामानन्द पंडित सहायक अधीक्षक को दिखाया उन्होंने मुझे लिखित आदेश दिये उसके बाद बी0एम0पी0 जवानों के द्वारा चावल का तलाशी कराकर गेट में लिया। गेट सामग्री कॉपी (बिक्री बही) सहायक अधीक्षक, श्री रामानन्द पंडित के पास रहने के कारण उस पर नहीं लिख पाया। इस सामग्री कॉपी के बारे में खुद कारापाल सहायक अधीक्षक महोदय अपने कस्टडी में रखने का बयान जाँच पदाधिकारी को लिखित रूप में दिये हैं। इस चावल के अलावे उनके कर्तव्य अवधि में कोई भी सामग्री का प्रवेश कारा गेट में नहीं हुआ है। जो भी अतिरिक्त सामग्री कारा गेट में आया है, वो सहायक अधीक्षक के आदेशानुसार कारा के अन्दर लिया गया। उस समय लगभग 02:25 बजे अपराह्न कारापाल गेट के अन्दर कार्यालय में उपस्थित थे। जहाँ तक बाहर के कारीगरों को गेट रजिस्टर में बिना प्रविष्टि किये ही कारा में प्रवेश कराने की बात है इसके संबंध में उन्होंने कहा है कि उनकी ड्युटी दिन में 12.00 बजे से थी। वे सभी कारीगरों को 12.00 बजे से पहले ही प्रवेश कराया गया था। अतः इसके लिए उन्हें उत्तरदायी मानना न्यायोचित नहीं है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :– आरोपित कक्षपाल श्री रमेश कुमार के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 22.03.2016 तथा 23.03.2016 को भोजन बनाने हेतु जो सामग्री जेल गेट के भीतर लायी गयी थी उसमें बहुत सारे सामग्री की प्रविष्टि जेल गेट सामग्री पंजी एवं भंडार पंजी में दर्ज नहीं किया गया है। आरोपित कर्मी श्री रमेश कुमार की डियूटी दोपहर 12:00 बजे से शाम नम्बर बंदी तक थी। इनकी डियूटी अवधि में खाना बनाने वाले कारीगर एवं विशेष भोजन बनाने हेतु कोई सामग्री नहीं गयी थी। दिनांक–22.03.2016 को संवेदक सुरेन्द्र यादव द्वारा 125 किलोग्राम चावल लाया गया था जो सहायक अधीक्षक श्री रामानन्द पंडित को दिखाया गया। उनके द्वारा लिखित आदेश देने पर तलाशी कराकर गेट में लिया गया। गेट सामग्री कॉपी (बिक्री बही) सहायक अधीक्षक के पास रहता था जो वे खुद स्वीकार किये हैं। इसलिए आरोप नं0–2 प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप संख्या (iii)– कारा के मुख्य द्वार में संधारित किये जाने वाली गेट पंजी (Gate Register of Articles) का उनके पास न होकर, सहायक अधीक्षक की अभिरक्षा में होना तथा उसमे सहायक अधीक्षक द्वारा अपनी सुविधानुसार इन्ट्री किया जाना, बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम संख्या–828 (iii) का खुला उल्लंघन है।

स्पष्टीकरण :– तीसरा आरोप के प्रसंग में आरोपित ने कहा है कि सहायक अधीक्षक मुझसे वरीय पदाधिकारी हैं। वरीय पदाधिकारी के आदेश को चुनौती देना उनके लिये संभव नहीं था खासकर अप्रशिक्षित होने के कारण उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी। सहायक अधीक्षक और अन्य पदाधिकारी जैसा कहते थे वे वैसा ही करते थे। इसके लिए तो सहायक अधीक्षक से पूछना चाहिए था प्रभारी उपाधीक्षक ही गेट रजिस्टर ऑफ आर्टिकिल्स अपने पास रखे हुए थे। उस बिन्दु पर उन्हीं से पूछा जाय।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :– कारा के मुख्य द्वार में संधारित किये जानी वाली गेट पंजी (Gate register of articles) जो आरोपित कक्षपाल (गेटवार्डर) के पास न होकर सहायक अधीक्षक की अभिरक्षा में होना तथा सहायक अधीक्षक द्वारा अपनी सुविधानुसार इन्ट्री किया जाता था। इस संबंध में आरोपित कक्षपाल के द्वारा बताया गया कि उनकी नियुक्ति नवम्बर 2013 में कक्षपाल के पद पर हुई थी। कारा हस्तक के नियम 814 में प्रावधान है कि सभी नवनियुक्त कक्षपालों को तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण नहीं प्राप्त होने के कारण उन्हें जानकारी नहीं थी, जबकि उक्त आरोपित कक्षपाल द्वारा बताया गया कि वे करीब 8–9 महीने से वे गेटवार्डर का कार्य कर रहे थे, तो अप्रशिक्षित होने का सवाल ही नहीं है। अतएव उक्त कक्षपाल के विरूद्ध आरोप सं0–3 प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या–(iv) उपरोक्त के आलोक में उनका यह कृत्य उनकी कर्त्तव्यहीनता, लापरवाही एवं कदाचार में संलिप्तता का द्योतक है। साथ ही यह बिहार कारा हस्तक 2012 के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है।

स्पष्टीकरण :– उपर्युक्त आरोप के प्रसंग में आरोपित कर्मी श्री कुमार का कहना है कि यह कोई नया आरोप नहीं है बल्कि उपर्युक्त तीनों आरोप को दुहराया गया है जिसपर वे प्रकाश डाल चुके है। अतः उनके अनुसार इस बिन्दु पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :– उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही के आरोपवार अभिलेख, तथ्य एवं आरोपी कर्मी के बयान के विश्लेषोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित कक्षपाल श्री रमेश कुमार पर गठित आरोप संख्या 01, 02 को प्रमाणित नहीं पाया गया है एवं आरोप संख्या 03 को प्रमाणित पाया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाया है। फलतः प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन की प्रति आरोपित को विभागीय पत्रांक 3960 दिनांक 05.07.2016 द्वारा उपलब्ध कराते हुए पन्द्रह दिनों के अन्दर द्वितीय कारण पृच्छा जबाव समर्पित करने का निदेश दिया गया।

आरोपित द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा जबाव में पृच्छा किये गये तथ्यों से हटकर अनेक अनावश्यक एवं अतार्किक तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रमेश कुमार, कक्षपाल के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाव एवं संचिका में उपलब्ध अन्य अभिलेखों, कारा हस्तक के प्रावधानों एवं विभागीय अनुदेशो के आलोक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि कारा हस्तक में विहित प्रावधानों के विपरीत गेट पंजी श्री कुमार के पास न होकर सहायक अधीक्षक के पास होती थी एवं उक्त पंजी में सामग्रियों/व्यक्तियों की प्रविष्टि उनके द्वारा नहीं की जाती थी। बिहार कारा हस्तक के नियम संख्या–828 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप श्री रमेश कुमार, द्वार कक्षपाल के दायित्व निर्वहन में विफल रहे। कारा जैसे संवेदनशील स्थान पर श्री कुमार का इस तरह का कृत्य कारा की सुरक्षा के सर्वथा प्रतिकूल है। श्री कुमार द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा जवाब में भी कोई ठोस एवं नये तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि उनके द्वारा अपने उत्तरदायित्व से बचने मात्र के उद्देश्य से अनावश्यक एवं अप्रासंगिक तथ्यों का सहारा लिया गया है। गठित आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्री कुमार का द्वितीय कारण पृच्छा जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है।

5. अतः श्री रमेश कुमार, कक्षपाल, मंडल कारा, बिहारशरीफ (सम्प्रति निलंबित) संलग्न शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत् निम्न वृहत् दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

" सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड (Dismissal from service)"।

श्री कुमार को निलंबन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा/नि0को0(स0अधी0)–03–07/2016 6742 दिनांक– 4-11-16

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर/मंडल कारा, बिहारशरीफ/आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना तथा श्री रमेश कुमार, कक्षपाल (सम्प्रति निलंबित) संलग्न शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, (कक्षपाल स्थापना–02), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

3. अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को निदेश है कि आदेश की प्रति श्री कुमार को तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

4. सभी अधीक्षक, केन्द्रीय कारा/मंडल कारा एवं उपकारा को सूचनार्थ प्रेषित।

5. आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।